

समझौते से सऊदी अरब की क्षेत्रीय भूमिका और अमेरिका के साथ संबंध होंगे मजबूत

सऊदी अरब और अमेरिका के बीच परमाणु समझौता, बढ़ी नई बहस

वॉशिंगटन, एजेंसी : अमेरिका और सऊदी अरब के बीच असैन्य परमाणु सहयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत अमेरिका सऊदी अरब को बिजली उत्पादन के लिए असैन्य परमाणु तकनीक उपलब्ध कराएगा।

यह समझौता ऐसे समय में हुआ है, जब पश्चिम एशिया में युद्ध और तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है, क्योंकि वह लंबे समय से इस समझौते के पक्षधर रहे हैं।

हालांकि इस समझौते का इजराइल सहित अमेरिका के कई अधिकारियों और परमाणु विशेषज्ञों ने विरोध किया है। उनका मानना है कि यदि सऊदी अरब को यूरेनियम संवर्धन की तकनीक प्राप्त होती है, तो भविष्य में उसके परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इससे पूरे पश्चिम एशिया में परमाणु हथियारों की नई प्रतिस्पर्धा शुरू



होने का खतरा बढ़ सकता है।

क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पहले भी कह चुके हैं कि यदि ईरान परमाणु हथियार विकसित करता है तो सऊदी अरब भी उसी दिशा में कदम उठाने पर विचार करेगा। यही कारण है कि इस समझौते को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक चर्चा हो रही है।

अमेरिका इससे पहले 26 देशों के साथ परमाणु सहयोग समझौते कर चुका है। वर्ष 2008 में भारत के साथ भी ऐसा समझौता हुआ था। सामान्यतः

अमेरिका गैर-परमाणु देशों के साथ समझौते में यह शर्त रखता है कि संबंधित देश स्वयं यूरेनियम संवर्धन नहीं करेंगे, लेकिन इस समझौते में ऐसी शर्त शामिल नहीं है। सऊदी अरब में यूरेनियम के भंडार मौजूद हैं और उसे संवर्धन की अनुमति मिलने पर वह भविष्य में परमाणु ईंधन तैयार करने की क्षमता विकसित कर सकता है। सऊदी अरब का लक्ष्य वर्ष 2030 तक अपनी बिजली आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा परमाणु ऊर्जा से पूरा करना है, जिससे तेल पर उसकी

निर्भरता कम हो सके।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने समझौते का बचाव करते हुए कहा कि अमेरिका किसी भी ऐसे समझौते का समर्थन नहीं करेगा, जिससे परमाणु हथियारों के प्रसार का खतरा उत्पन्न हो।

इस समझौते की रूपरेखा पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में तैयार हुई थी। उस समय अमेरिका चाहता था कि सऊदी अरब, इजराइल को औपचारिक मान्यता देकर राजनयिक संबंध स्थापित करे। लेकिन गाजा संघर्ष

के बाद सऊदी अरब ने स्पष्ट कर दिया कि स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना से पहले वह इजराइल को मान्यता नहीं देगा। बाद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रणनीति में बदलाव करते हुए इजराइल से जुड़े मुद्दे को इस समझौते से अलग कर दिया।

विशेषज्ञों का मानना है कि परमाणु बिजलीघर बनने में कई वर्ष लग सकते हैं। इस अवधि में सऊदी अरब अमेरिका की तकनीक और सहयोग पर निर्भर रहेगा, जिससे दोनों देशों के बीच सुरक्षा, व्यापार और रणनीतिक संबंध और मजबूत होंगे। साथ ही अमेरिकी कंपनियों को सऊदी अरब में परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित करने के बड़े अनुबंध मिलने की संभावना है। यदि अमेरिका के साथ यह समझौता नहीं हो पाता तो सऊदी अरब चीन, रूस, फ्रांस अथवा दक्षिण कोरिया जैसे देशों से भी परमाणु तकनीक प्राप्त करने पर विचार कर रहा था। वहीं अमेरिकी संसद में इस समझौते को लेकर विरोध के स्वर उठे हैं, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए इसके लागू होने की संभावना अधिक मानी जा रही है।

बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन के इस्तीफे की अटकलें हुईं तेज

मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के बीच राष्ट्रपति पद पर बने रहने पर उठे सवाल

ढाका, एजेंसी : बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद छोड़ने की संभावना जताई जा रही है। बांग्लादेश के विभिन्न समाचार माध्यमों में सूत्रों के हवाले से प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार राष्ट्रपति अपने पांच वर्षीय कार्यकाल की समाप्ति से लगभग दो वर्ष पहले इस्तीफा दे सकते हैं।

मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अप्रैल 2023 में राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभाली थी। जुलाई और अगस्त 2024 में हुए छत्र आंदोलन के बाद अवामी लीग की सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी। आंदोलन के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा था। इसके बाद से शहाबुद्दीन ही अवामी लीग सरकार के समय के एकमात्र संवैधानिक पदाधिकारी हैं, जो अब तक अपने पद पर बने हुए हैं। पिछले दो दिनों में उनके



संभावित इस्तीफे की चर्चाओं ने और जोर पकड़ लिया है। बांग्लादेश के कई समाचार माध्यमों का दावा है कि मौजूदा सरकार राष्ट्रपति के पद पर उनके बने रहने को लेकर सहज नहीं है। एक समाचार पत्र ने सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया है कि राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में शेख हसीना से दोबारा संपर्क करने की कथित कोशिश को लेकर सरकार नाराज बताई जा रही है। एक अन्य समाचार पत्र ने

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के हवाले से कहा है कि राष्ट्रपति और शेख हसीना के बीच कथित दूरभाष वार्ता ही संभावित इस्तीफे का एकमात्र कारण नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार शेख हसीना द्वारा दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की घोषणा के बाद देश का राजनीतिक वातावरण और अधिक संवेदनशील हो गया है, जिसके चलते राष्ट्रपति के भविष्य को लेकर अटकलों का दौर तेज हो गया है।

मकान दिलाने का झांसा देकर ठगी किराये के फर्जी विज्ञापनों से 41 लाख रुपये वसूले

नईदुनिया ब्यूरो, जालंधर : कनाडा में पंजाबी मूल की 27 वर्षीय युवती को किराये के नाम पर लोगों से लाखों रुपये की ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार युवती ने 17 लोगों से लगभग 60 हजार डॉलर, यानी करीब 41 लाख रुपये की ठगी की। गिरफ्तार युवती की पहचान सवरीत कौर के रूप में हुई है, जो कनाडा की नागरिक है और ब्रैम्पटन में रहती है।

पुलिस के अनुसार मई 2025 से फरवरी 2026 के बीच युवती ने सामाजिक माध्यमों पर ब्रैम्पटन स्थित बेसमेंट और आवासों के किराये के फर्जी विज्ञापन प्रकाशित किए। इन विज्ञापनों में विभिन्न स्थानों पर मकान उपलब्ध होने का दावा किया गया और इच्छुक लोगों से संपर्क कर उन्हें किरायानामा करने के लिए तैयार किया गया। आरोप है कि युवती ने पहले और अंतिम माह के किराये के नाम पर अग्रिम राशि प्राप्त कर ली। इसके बाद जब लोग अपना सामान लेकर

बताए गए पते पर रहने पहुंचे तो पता चला कि वहां पहले से अन्य लोग रह रहे हैं और संबंधित मकान किराये के लिए उपलब्ध ही नहीं था। कई पीड़ित अपना पुराना मकान भी खाली कर चुके थे। शिकायत मिलने पर क्षेत्रीय पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें 17 अलग-अलग मामलों का खुलासा हुआ। सभी मामलों में पीड़ितों से कुल 60 हजार डॉलर से अधिक की ठगी की पुष्टि हुई। जांच पूरी होने के बाद 13 जुलाई को सवरीत कौर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे न्यायालय में जमानत संबंधी सुनवाई तक न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया है।

पुलिस ने लोगों, विशेषकर नए प्रवासियों और किरायेदारों से अपील की है कि किसी भी मकान के लिए अग्रिम राशि देने से पहले स्वयं स्थल का निरीक्षण करें और पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही भुगतान करें। युवती की गिरफ्तारी की जानकारी 22 जुलाई को सार्वजनिक की गई।

सबरीमाला स्वर्ण प्रकरण में पूर्व अध्यक्ष सहित दो गिरफ्तार

नईदुनिया ब्यूरो, तिरुवनंतपुरम : सबरीमाला मंदिर से कथित रूप से स्वर्ण गायब होने के मामले में पूर्व विशेष जांच दल ने गुरुवार को त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पी. एस. प्रसांत और बोर्ड सदस्य ए. अजिंकुमार को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों के अनुसार दोनों को उनके आवास से हिरासत में लेने के बाद पूछताछ की गई और बाद में काल्मल पुलिस क्लब में उनकी गिरफ्तारी औपचारिक रूप से दर्ज की गई। विशेष जांच दल सबरीमाला मंदिर के गर्भगृह के द्वारपालक प्रतिमाओं तथा द्वार के चौखट से कथित रूप से स्वर्ण गायब होने के दो मामलों की जांच कर रहा है।

जांच के अनुसार यह स्वर्ण वर्ष 2019 में विद्युत परत चढ़ाने की प्रक्रिया के लिए भेजा गया था। एजेंसी का कहना है कि वर्तमान कार्यवाई इन्हीं दोनों मामलों से संबंधित है।

इस बीच विशेष जांच दल ने हाल ही में केरल उच्च न्यायालय को भी अवगत कराया है कि वह वर्ष 2025 में कराई गई एक अन्य विद्युत परत चढ़ाने की प्रक्रिया की जांच कर रहा है। उस समय पी. एस. प्रसांत त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड के अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे। अधिकारियों के अनुसार मामले की जांच अभी जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्यवाई की जाएगी।

कूटनीति दोनों पड़ोसी देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने की कवायद...

नेपाल के प्रधानमंत्री शाह ने बदली राजनयिक मुलाकातों की नीति

काठमांडू, एजेंसी: नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह (बालेन शाह) प्रधानमंत्री पद संभालने के लगभग तीन माह बाद पहली बार अपने ही बनाए नियम से हटते हुए भारत और चीन के राजदूतों से अलग-अलग मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने निर्णय लिया था कि वह किसी भी विदेशी राजदूत से अकेले मुलाकात नहीं करेंगे, लेकिन अब वह भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव और चीन के राजदूत झांग माओमिंग से अलग-अलग बातचीत करेंगे। नेपाली समाचार माध्यमों के अनुसार इन बैठकों को नेपाल की उस नीति का हिस्सा माना जा रहा



है, जिसके तहत वह अपने दोनों प्रमुख पड़ोसी देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखना चाहता है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने दोनों देशों के राजदूतों से एक ही दिन अलग-अलग बैठक करने का निर्णय लिया है, ताकि किसी भी पक्ष को अधिक महत्व दिए जाने

का संदेश न जाए। दोनों बैठकें एक के बाद एक आयोजित होंगी। हालांकि उनकी तिथि अभी सार्वजनिक नहीं की गई है और विदेश मंत्रालय अंतिम तैयारियों में जुटा है। प्रधानमंत्री बनने से पहले नेपाल में यह परंपरा रही है कि भारत, चीन और अमेरिका जैसे

प्रभावशाली देशों के राजदूत सीधे प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत मुलाकात करते थे। इन बैठकों में विदेश मंत्रालय के अधिकारी उपस्थित नहीं रहते थे और उनका कोई आधिकारिक अभिलेख भी नहीं बनाया जाता था। कई विशेषज्ञों का मानना रहा है कि ऐसी व्यवस्था से

हितों के टकराव की आशंका बनी रहती है। प्रधानमंत्री बनने के बाद बालेन शाह ने स्पष्ट किया था कि वह केवल किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री स्तर के प्रतिनिधि से ही व्यक्तिगत मुलाकात करेंगे। राजदूतों और अन्य अधिकारियों से मुलाकात विदेश मंत्रालय के माध्यम से अथवा सामूहिक बैठक के रूप में होगी। इसी नीति के कारण उन्होंने भारत, अमेरिका और चीन के कई वरिष्ठ प्रतिनिधियों से व्यक्तिगत मुलाकात नहीं की थी।

अब बदली परिस्थितियों में उन्होंने अपने रुख में परिवर्तन

किया है। माना जा रहा है कि शासन संचालन और विदेश नीति के व्यावहारिक पक्ष को देखते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया है। नेपाल की विदेश नीति लंबे समय से भारत और चीन के बीच संतुलन बनाए रखने पर आधारित रही है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि चीन ने हाल के वर्षों में आधारभूत संरचना और अन्य परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर निवेश किया है। ऐसे में दोनों देशों के साथ संतुलित और प्रत्यक्ष संवाद बनाए रखना नेपाल की कूटनीतिक प्राथमिकताओं में शामिल माना जा रहा है।

स्वदेशी ‘कुशा’ मिसाइल का पहला सफल परीक्षण

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली : रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ओडिशा स्थित डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली ‘कुशा’ मिसाइल प्रणाली का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया।

यह परीक्षण भारत की वायु रक्षा क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इससे रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है।

पहला परीक्षण एक इलेक्ट्रॉनिक

लक्ष्य के विरुद्ध किया गया, जिसे तेज गति और अधिक ऊंचाई वाले हवाई खतरे के अनुरूप तैयार किया गया था। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने निर्धारित लक्ष्य को सफलतापूर्वक साधते हुए अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया।

‘कुशा’ मिसाइल प्रणाली लड़ाकू विमानों, विभिन्न प्रकार की मिसाइलों, मानव रहित हवाई वाहनों तथा शत्रु के बड़े विमानों सहित अनेक प्रकार के हवाई खतारों को निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह प्रणाली लंबी दूरी और अधिक ऊंचाई पर प्रभावी ढंग से

कार्य कर सकती है। मिसाइल प्रणाली के सभी प्रमुख घटकों, जिनमें मिसाइल, रडार, नियंत्रण एवं कमान केंद्र तथा अन्य हथियार प्रणाली शामिल हैं, का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की विभिन्न प्रयोगशालाओं तथा औद्योगिक सहयोगी संस्थानों ने स्वदेशी तकनीक से किया है। इस सफल परीक्षण को भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता और आधुनिक वायु सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।



अवैध रेत खनन पर उच्चतम न्यायालय सख्त

राज्यों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश

मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से मांगी प्रमाती कार्रवाई की जानकारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल : राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन के मामले में उच्चतम न्यायालय ने मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि अवैध खनन को बढ़ावा देने वाले लोगों के विरुद्ध एहतियाती हिरासत जैसे कठोर कदम उठाए जाएं, ताकि इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए सख्त संदेश जाए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन तथा उससे संकटग्रस्त जलीय वन्यजीवों पर पड़ रहे प्रभाव से संबंधित स्वतः संज्ञान प्रकरण की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया गया कि मुंेरना जिले में



अवैध रेत खनन में सहयोग करने वाले 551 लोगों की पहचान की जा चुकी है। इस पर पीठ ने पूछा कि जब संबंधित लोगों की पहचान हो चुकी है तो उन्हें अब तक हिरासत में क्यों नहीं लिया गया। न्यायालय ने कहा कि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध एहतियाती हिरासत के आदेश जारी किए जाएं और उन्हें कुछ समय तक हिरासत

में रखा जाए, ताकि यह कार्रवाई अन्य लोगों के लिए भी उदाहरण बने और अवैध खनन पर प्रभावी रोक लग सके। सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने कहा कि चंबल नदी तथा उसकी सहायक नदियों का प्राकृतिक प्रवाह और वन्यजीवन का संतुलन सुरक्षित रहना चाहिए। न्यायालय ने टिप्पणी की कि प्रकृति स्वयं अपना संतुलन

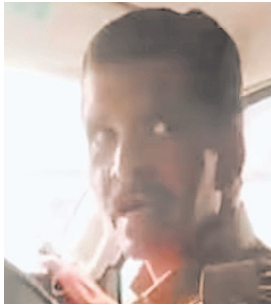
बनाए रखने में सक्षम है, यदि मानवीय हस्तक्षेप सीमित रहे। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले लोगों के प्रति किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। सुनवाई के दौरान मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों ने अवैध खनन रोकने के लिए दर्ज प्रकरणों, जब्ती की कार्रवाई तथा

अन्य उपायों का विवरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। हालांकि पीठ ने कहा कि केवल इन कार्रवाइयों से पर्याप्त परिणाम नहीं मिलेंगे और अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए और अधिक कठोर तथा ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को निर्धारित की गई है।

प्रदर्शनकारियों को धमकाने वाला जवान हटाया गया

प्रदर्शन के दौरान कथित धमकी का मामला बना चर्चा का विषय

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबई : राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों को कथित रूप से झूठे मादक पदार्थ मामले में फंसाने की धमकी देने वाले मुंबई पुलिस के एक जवान का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने उसे ड्यूटी से हटा दिया है। मामले की विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है।



पदार्थ रखकर झूठे मामले में फंसाने की चेतावनी देता सुनाई दे रहा है। बताया गया है कि यह वीडियो प्रदर्शनकारियों ने ही बनाया था। हालांकि घटना का स्थान स्पष्ट नहीं हो सका है।

पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक, कॉकरोच जनता पार्टी तथा सोनम वांगचुक के समर्थन में मुंबई के शिवाजी पार्क, चेंबूर और आजाद मैदान सहित विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच प्रारंभ कर दी है और संबंधित जवान को जांच पूरी होने तक कार्य से अलग कर दिया गया है। वीडियो में पुलिस जवान यह भी कहता सुनाई दे रहा है कि प्रदर्शन के कारण उसे परेशानी उठानी पड़ रही है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब

न्यूयॉर्क, एजेंसी: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन पर आयोजित उच्चस्तरीय खुली चर्चा के दौरान भारत ने सिंधु जल संधि के मुद्दे पर पाकिस्तान के आरोपों का कड़ा जवाब दिया। भारत ने कहा कि राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद ने दोनों देशों के बीच सहयोग का आधार ही समाप्त कर दिया है।

ऐसे माहौल में आपसी विश्वास और सद्भावना के बिना किसी भी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पारवतनेनी ने पाकिस्तान के वक्तव्य का उत्तर देते हुए कहा कि इस मंच का उपयोग

झूठा प्रचार फैलाने के लिए किया गया। उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि को लेकर भारत का रुख स्पष्ट, निरंतर और अपरिवर्तित रहा है। भारत का मानना है कि जब किसी देश द्वारा सीमा पार आतंकवाद को राज्य की नीति के साधन के रूप में अपनाया जाता है, तब सहयोग की मूल भावना स्वतः समाप्त हो जाती है।

भारत ने अपने वक्तव्य में यह भी दोहराया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और आगे भी रहेगा। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि पाकिस्तान इस संवैधानिक और कानूनी तथ्य की लगातार अनदेखी करता रहा है।

